न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

1–प्रकरण संख्या 38/2017 (उदयपुर डिकी)

श्री गणेश पिता स्व. वाला जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लालू पिता स्व. वाला जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री शिवलाल पिता स्व. वाला जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री तुलसीराम पिता स्व. कन्ना जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री रमेशचन्द पिता स्व. कन्ना जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री नारायण पिता स्व. कन्ना जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश उदयपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी गिर्वा दिनांक 25–1–2017 प्रकरण संख्या
360/2012 राजस्व वाद

–––/–––

2–प्रकरण संख्या 150/2015 (उदयपुर डिकी)

श्री गणेश पिता स्व. वाला जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लालू पिता स्व. वाला जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री शिवलाल पिता स्व. वाला जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री तुलसीराम पिता स्व. कन्ना जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री रमेशचन्द्र पिता स्व. कन्ना जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री नारायण पिता स्व. कन्ना जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश उदयपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी गिर्वा दिनांक 13–6–2017 प्रकरण संख्या
360 / 2012

———/———

उपस्थित :–1– श्री चुन्नीलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री हुकमसिंह देवड़ा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 से 5
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता 6, 7

निर्णय **दिनांक 30–04–2018**

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी के विरूद्ध धारा–88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम भैसड़ा खुर्द में होकर उसका साबिक आराजी नंबर 524/3 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा होकर भूमि के चारों और कोट/बाड़ बनी हुई है। हाल भू–प्रबन्ध में उक्त भूमि का आराजी नंबर 1866 क्षैत्रफल .08 हैक्टर दिखा रखा है। पक्षकारा का सजरा वादपत्र की कलम संख्या–2 अनुसार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य यह भूमि अविभाजित होने से विवाद

होता रहता है। भूमि का क्षेत्रफल भी 1.566 हैक्टर होना चाहिए जो त्रुटिपूर्वक .08 हैक्टर अंकित है। अतएव भूमि का क्षेत्रफल सही करवाने की घोषणा करवाते हुए विधिवत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री दिलवाई जाय।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की और से सहमति का जवाब दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 23–9–2013 को प्रकरण में विवादित आराजी नंबर 1866 रकबा .08 हैक्टर भूमि का विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा अपील संख्या 4/2014 इस न्यायालय में प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 23–2–2016 को करते हुए निर्देश दिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रकबे की विसंगति जांच करवाये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतएव उसकी जांच किये जाने के लिए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया। इस न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 23–2–2016 की पालना में अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः इस प्रकरण में दिनांक 25–1–2017 को प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हए तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट अनुसार आराजी नंबर 1866 का क्षेत्रफल .08 हैक्टर नहीं होकर .80 हैक्टर होने के आधार पर आराजी नंबर 1866 का रकबा .80 हैक्टर दर्ज करने का आदेश/घोषणा की तथा विभाजन के लिए प्रारम्भिक डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त प्रारम्भिक डिक्री निर्णय दिनांक 25–1–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा प्रथम अपील संख्या 38/2017 इस न्यायालय में दिनांक 26–4–2017 को पेश की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–1–2017 के सन्दर्भ में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री दिनांक 13–6–2017 को पारित की। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा द्वितीय अपील संख्या 150/2017 इस न्यायालय में दिनांक 5–9–2017 को पेश की।

अधिनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण संख्या 360/2012 में समान पक्षकारों व समान विषयवस्तु में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–1–2017 के विरूद्ध अपील संख्या 38/2017 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 13–6–2017 के विरूद्ध पेश शुदा अपील संख्या 150/2017 को हम न्यायहित में एक ही

निर्णय से निर्णित करना उचित समझते है। प्रथम अपील प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध दायर अपील को एवं द्वितीय अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध पारित डिक्री से संबोधित किया जायेगा। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जाय।

सर्व प्रथम हम प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध पेश शुदा अपील संख्या 38/2017 का विवेचन करना उचित समझते है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री का निर्णय दिनांक 25–1–2017 को हुआ है, जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26–4–2017 को पेश की है। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को 25–1–2017 के निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं हो पाई। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की और से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह देवड़ा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की और से राजाकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मातृ पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार बंटवारा किये जाने की डिक्री पारित की है तथा आधा–अधुरा निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में पटवारी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार के पत्र क्रमांक 2026 दिनांक 31–12–2013 से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर भूमि का क्षैत्रफल .08 हैक्टर को .80 हैक्टर होना मानते हुए

उसकी घोषणा की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25—1—2017 को पारित की है। आश्चर्यजनक रूप से प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में दिनांक 9—6—2017 को पटवारी हल्का द्वारा मूर्तिब किये गये पर्चे मौके में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की उपस्थिति में वादी स्वयं द्वारा तथा अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 द्वारा भूमि का रकबा .80 हैक्टर होकर पक्षकारान का मौके पर पृथक—पृथक भी कब्जे का योग .80 ही होना स्वीकार किया है तथा दिनांक 13—6—2017 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अपीलान्ट स्वयं तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा कोई आपत्ति किये बिना प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को मान्यता दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि का वास्तविक मौके का रकबा .80 हैक्टर ही है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तद्नुसार ही घोषणा करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये किसी भी उजर के आधार पर हम प्रारम्भिक डिक्री एंव उसमें की गई घोषणा में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतएव अपील संख्या 38/2017 सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25—1—2017 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

प्रकरण में जहां तक द्वितीय अपील संख्या 150/2017 का प्रश्न है यह अपील अधिनस्थ न्यायाल के निर्णय दिनांक 13—6—2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 5—9—2017 को पेश हुई है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा—5 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13—6—2017 की जानकारी उसे अनपढ़ काश्तकार होने से नहीं हो पाई तथा अपने अधिवक्ता से दिनांक 3—9—2017 को सम्पर्क करने पर उसे जानकारी प्रथम बार हुई। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

उक्त आवेदन पर हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में दिनांक 9—6—2017 को पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव व अपीलान्ट वादी के हस्ताक्षर है तथा इसी प्रकार दिनांक 13—6—2017 को जारी की गई अंतिम डिक्री का निर्णय दिनांक 9—6—2017 को अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर ही आधारित है, उक्त अंतिम डिक्री की आदेशिका दिनांक

13–6–2017 पर अपीलान्ट वादी स्वयं के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट वादी द्वारा अब दफा–5 जाब्ता मयाद के आवेदन में यह न सिर्फ झूठ है, बल्कि न्यायालय में अस्वच्छ हाथों से आना भी प्रकट करता है। अपीलान्ट द्वारा दिये गये झूठे व आधारहीन शपथ पत्र के कारण अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्टया ही बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिंनाक 27–4–2017 को 15–6–2017 की पेशी दी थी, परन्तु 13–6–2017 को ही कोटा पूरा करने के लिए लोक अदालत में प्रकरण को रखकर रेकार्ड से विपरित निर्णय पारित किया है।

हम अपीलान्ट के उपरोक्त उजरात से सहमति नहीं रखते, क्योंकि दिनांक 13–6–2017 को अपीलान्ट वादी स्वयं की उपस्थिति में उसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव में बिना आपत्ति दी गई। संदर्भित दिनांक 9–6–2017 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 13–6–2017 को अंतिम डिक्री दिनांक 13–6–2017 की आदेशिका पर भी बिना आपत्ति उसके द्वारा सहमति हस्ताक्षर के बाद अब अपीलान्ट को उक्त आपत्ति उठाने के लिए हम विबन्धित पाते है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट गुणावगुण आधार पर भी सारहीन है। द्वितीय अपील संख्या 150/2017 बेरून मयाद व सरहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–6–2017 यथाव रखा जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

उपरोक्तानुसार प्रथम अपील संख्या 38/2017 सारहीन होने से तथा द्वितीय अपील संख्या 150/2017 बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है। दोनों प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में रखी जावे।

दोनों पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री लालू पिता भेराजी भील (गमेती) निवासी वारणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)	बनाम	**मु. गंगाबाई बेवा खेमा जी भील (गमेती) निवासी वारणी, हाल भारोड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)**

अपील नं0 **2/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .... **उपखण्ड अधिकारी** .... **मावली** ... मुकाम मुर्क्खे............**27**..........माह..............**11**........... **2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**16**..... माह ......**08**.......... सन् **2016** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री खेमराज डांगी.......... मिनजानिब अपीलान्ट व ....अनुपस्थित .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**16**...... माह ...**08**........ **2016** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश पिता स्व. वाला जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) बनाम **1— श्री लालू पिता स्व. वाला जी डांगी निवासी भैसड़ा खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर अन्य 4 व सरकार**

अपील नं0 **38/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **उपखण्ड अधिकारी** ....**गिर्वा ....** मुकाम मुर्क्खे...............**25**.............माह.............**01**..............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**30.........** माह ......**04**.......... सन् **2018.....**रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री चुन्नीलाल डांगी** मिनजानिब अपीलान्ट व .... **श्री हुक्मसिंह देवड़ा.................**............ रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील संख्या 38/2017 सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25—1—2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**30**...... माह ...**04**....... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।